






न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ
25/5/19	वसुधाय उपा। पूर्व न्यायशाखा द्वारा फावली दिनांक 29.5.19 को पेश है। 
29/5/19	वसुधाय उपा। पूर्व न्यायशाखा द्वारा फावली दिनांक 30.5.19 को पेश है। 
30/5/19	वसुधाय उपा। पूर्व न्यायशाखा द्वारा फावली दिनांक 14.6.19 को पेश है। 
14/6/19	वसुधाय उपा। पूर्व न्यायशाखा द्वारा फावली दिनांक 26.7.19 को पेश है। 
7/9	<p>फावली दरिदर के वारिसानो के प्रयोग पर पर पेश है। वारिसान की ओर से श्री रामधन यादव से. जो न्यायालय पर प्रयोग पर विज्ञा करने पेश किया। वारिसान शरियतानो प्रयोग पर पेश कर निवेदन किया कि वही पौर हो चुका है जिसका मुख्य प्रमाण पर प्रयोग पर जो लख प्रमाण है प्रयोग पर में पर श्री रामधन यादव कि वही दरिदर के लख जायज वारिसान है और वर को इस शानो गरी चलाया चले विज्ञा करणा चले है। दरिदर के वारिसान की पहचान श्री रामधन से. ने की। प्रयोग पर सूचीकार किया उपर न्यायिक फावली किया गया। वही दरिदर पौर हो चुका है दरिदर के वारिसान वर को गरी चलाया चले। इससे वर साक्षि किया जाता है फावली में लख प्रमाण से पर लख ले लान से तथा वर न्यायिक नैस शरियत है। तथा प्रमाण वर है। </p>

के शा. मु.

मान
मु.
दफ्तार
नियम
जा